न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिवान।	
उपस्थिति : मनोज कुमार – द्वितीय भरण पोषण वाद संख्या- 20 of 2021 CIS No.- 20 of 2021	
पृष्ठ सं0– 1 /5	
1 2	अन्नू मिश्रा वर्तमान उम्र 30 वर्ष, पत्नी विरेन्द्र मिश्रा, पुत्री दीनदयाल तिवारी ख्यातिक मिश्रा पुत्र विरेन्द्र मिश्रा नाबालिग द्वारा आवेदिका सं0 01 माता संरक्षिका दोनों निवासी साकिन बगौरा, थाना–दरौंदा, जिला–सिवान। मोबाईल 7079139621
	.....आवेदकगण
	–बनाम–
1	विरेन्द्र मिश्रा, पिता–रामनाथ मिश्रा, निवासी जे–14, संत आशाराम नगर, बाग मुगलिया, कृष्णा आरकेड के पास, हुजुर, भोपाल, मध्यप्रदेश पिन कोड 462043 मोबाईल 8225929593
	.....विपक्षी

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता	श्री मनोज कुमार सिंह नं0 04
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता	कोई नहीं
आदेश तिथि	13वीं मई, 2026
उपस्थिति	मनोज कुमार – II, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिवान।

आदेश

1. प्रस्तुत वाद आवेदकगण अन्नू मिश्रा एवं ख्यातिक मिश्रा द्वारा धारा 125 द0प्र0सं0 के तहत अपने भरण पोषण हेतु कुल मो0 30,000/–रूपया प्रतिमाह विपक्षी पति/ पिता विरेन्द्र मिश्रा से दिलवाने हेतु दाखिल किया है।

2. संक्षेप में, आवेदिका का भरण पोषण के लिए दाखिल आवेदन में अभिकथन है कि आवेदिका सं0 01 की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिननांक 11.03.2015 को उसके मायके से हुई थी और दोनों पति–पत्नी के रूप में रहने लगे। विवाह में आवेदिका के माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार नगद दो लाख रूपया, सोने के गहने कीमत दो लाख रूपया का तथा कपड़ा, फर्निचर, बर्तन कीमत दो लाख रूपये का उपहार स्वरूप विपक्षी को दिये थे। आवेदिका सं0 01 तीन माह तक ससुराल में ठीक से रही उसके बाद विपक्षी का व्यवहार उसके प्रति खराब होने लगा। विपक्षी और विपक्षी का पूरा परिवार एक राय होकर आवेदिका को प्रताड़ित करने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे तथा दहेज में पॉच लाख रूपये की मांग करने लगे। आवेदिका ने इसकी सूचना अपनी मॉ को दिया तब उसकी मॉ ने उसके पिता को भेजकर उसे बुला लिया। फिर मार्च 2017 में विपक्षी और उसके भाई आवेदिका को बुलाकर भोपाल ले गए जहॉ कुछ समय बाद आवेदिका गर्भवती हो गई लेकिन विपक्षी उसका गर्भपात करा दिया। आवेदिका दूबारा दिनांक 28.08.2018 को गर्भवती हुई उसे भी दबाव बनाकर जबदस्ती गर्भपात करा दिया। विपक्षी बराबर धमकी देता था कि वह दूसरी शादी कर लेगा। आवेदिका को बाद में पता चला कि वह विपक्षी की चौथी पत्नी है। विपक्षी की पहले दो शादी हो चुकी है और तीसरी पत्नी उसे छोड़कर मायके रहती है तथा विपक्षी ने स्पष्ट कहा है कि वह मुझे छोड़कर पॉचवीं शादी करेगा। विपक्षी ने

आवेदिका तथा उसके पुत्र ख्यातिक मिश्रा को दिनांक 27.03.2019 को सिवान जंक्शन पर लाकर छोड़ कर चला गया तथा आवेदिका का सारा गहना, कपड़ा इत्यादि छिन लिया तब आवेदिका अपनी मॉ के पास गई और सब बातें बताई। आवेदिका बेरोजगार महिला है वह अपनी मॉ पर पूर्ण रूप से आश्रित है तथा वह अपना और अपने पुत्र का भरण पोषण करने में असमर्थ है। विपक्षी साधन संपन्न वो जमीन जायदाद वाला व्यक्ति है जिसके पास शहर में दो कित्ता मकान है। विपक्षी स्वयं कंपनी में लेखा क्लर्क है जिसका वेतन 50,000/–रूपया है तथा मकान से उसे 30,000/–रूपया किराया आता है। विपक्षी को खेती से एक लाख रूपया सालाना आमदनी होती है। अंततः आवेदिका ने निवेदन किया है कि, उसे अपने व अपनी पुत्री के लिए कुल 30,000/– रूपये भरण पोषण हेतु दिलाया जाय।

3. प्रस्तुत वाद में, विपक्षी की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा नजारत एवं निबंधित नोटिश निर्गत की गई हैं और आवेदिका द्वारा निबंधित नोटिस की रसीद एवं ट्रेक रिपोर्ट दाखिल किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि निबंधित नोटिस विपक्षी को प्राप्त हो चुका है तत्पश्चात् आदेश दिनांक 06.08.2024 यह मानते हुए कि विपक्षी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, इस वाद की कार्यवाही एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत की गई। उसके बाद न्यायालय के आदेश दिनांक 18.04.2026 से आवेदिका के आवेदन के आलोक में आवेदिका का साक्ष्य बंद किया गया है एवं आवेदिका के एक पक्षीय बहस हेतु नियत किया गया हैं। बहस सुनने के पश्चात् अंततः वाद को आदेश हेतु नियत किया गया है।

4. आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र को सिद्व करने के क्रम में अपनी ओर से 03 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदिका की ओर से इस वाद के विपक्षी विरेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रस्तुत परिवार न्यायालय भोपाल, मध्यप्रदेश में आर0सी0आर0 वाद सं0 34/2021 के निर्णय के सत्यापित प्रति की छायाप्रति दाखिल किया गया है। विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हैं और न ही विपक्षी की ओर से कोई साक्षी ही प्रस्तुत किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा आवेदिका के मूल आवेदन की आपत्ति ही दाखिल किया गया है और न ही विपक्षी की ओर से आवेदिका के साक्षियों से प्रतिपरीक्षण ही किया गया है।

5. आवेदिका साक्षी संख्या 01ः स्वयं आवेदिका हैं इन्होंने अपने वाद पत्र के तथ्यों का समर्थन अपने साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। आवेदिका के प्रतिपरीक्षण हेतु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और इस तरह आवेदिका का मुख्यपरीक्षण ग्रहण करते हुए आवेदिका को उन्मोचित किया गया। न्यायालय प्रश्न के उत्तर में आवेदिका ने कहा है कि उसके पति किसी प्राईवेट स्कूल में क्लर्क है। उसके पति ने बी0कॉम0 किया है तथा कम्प्यूटर में टेली का कोर्स किया है। उसके पति जिस स्कूल में है उसका नाम उसे मालूम नहीं है लेकिन वह स्कूल भोपाल में है। साक्षी ने यह कहा कि उसके एक रिश्तेदार ब्रिजभान चौबे ने बताया था कि विपक्षी किसी स्कूल में दो साल पहले क्लर्क हो गया है। साक्षी ने स्वयं के बारे में कहा है कि वह इंटर पास है।

6. आवेदिका साक्षी संख्या 02 भागमनी देवी जो आवेदिका सं0 01 की मॉ हैं और इन्होंने भी आवेदिका के कथनों का समर्थन अपने दाखिल साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। आवेदिका साक्षी सं0 02 के प्रतिपरीक्षण हेतु भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और इस तरह आवेदिका साक्षी का मुख्यपरीक्षण ग्रहण करते हुए आवेदिका साक्षी को उन्मोचित किया गया। न्यायालय प्रश्न के उत्तर में आवेदिका साक्षी सं0 02 ने कहा है कि वह आवेदिका सं 01 की मॉ है। उसका दामाद प्राईवेट कम्पनी के ऑफिस में भोपाल में कम्प्यूटर चलाता है लेकिन कम्पनी का नाम उसे मालूम नहीं है। विपक्षी का मकान बाग सिवईयॉ, थाना–बाग सिवईया, भोपाल में है।

7. आवेदिका साक्षी संख्या 03 अरविन्द प्रसाद हैं और इन्होंने भी आवेदिका के कथनों का समर्थन अपने दाखिल साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। आवेदिका साक्षी सं0 03 के प्रतिपरीक्षण हेतु भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और इस तरह आवेदिका साक्षी का मुख्यपरीक्षण ग्रहण करते हुए आवेदिका साक्षी को उन्मोचित किया गया। न्यायालय प्रश्न के उत्तर में आवेदिका साक्षी सं0 03 ने कहा है कि वह आवेदिका सं0 01 का पड़ोसी है। विपक्षी भोपाल में रहता है। वह कभी भोपाल नहीं गया है। विपक्षी ने उससे बताया था कि उसका दो मकान बहुमंजिला है। विपक्षी ने ही

उसे बताया था कि वह कम्पनी में क्लर्क है। आवेदिका के घरवालों से उसे मालूम हुआ कि विपक्षी 50,000/–रूपया वेतन मिलता है।

8. विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए है और न ही विपक्षी ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध/ आपत्ति ही दाखिल किया है और न ही अपनी आय व संपत्ति को दर्शित करने के लिए कोई शपथ पत्र ही दाखिल किये हैं। दूसरी ओर आवेदिका द्वारा आय, संपत्ति और देयताओं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें विपक्षी को क्लर्क होना, उसके पास दो मकान होना वर्णित किया गया है तथा विपक्षी के आय के संबंध में अपने शपथ पत्र में वर्णित किया है कि विपक्षी को मो0 80,000/–रूपया प्रतिमाह वेतन मिलता है। आवेदिका ने शपथ पत्र में विपक्षी से अलग रहने की तिथि दिनांक 27.03.2019 अंकित किया है तथा अपने उपर मो0 30,000/–रूपया प्रतिमाह खर्च होना वर्णित किया है।

9. प्रस्तुत वाद में आवेदिका ने अभिकथित किया है कि उसकी शादी दिनांक 11.03.2015 को विपक्षी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। इस शादी से पूर्व विपक्षी की तीन अन्य शादियॉ हुई है। आवेदिका सं0 01 को विपक्षी के संयोग से एक पुत्र है जो अपनी मॉ के साथ उसके मायके में रह रहा है। आवेदिका और उसके साक्षियों ने इस बात का समर्थन किया है कि आवेदिका सं0 01 विपक्षी की पत्नी है तथा आवेदक सं0 02 उसका पुत्र है। आवेदिका ने इस वाद के विपक्षी विरेन्द्र मिश्रा द्वारा दाखिल परिवार न्यायालय भोपाल, मध्यप्रदेश में आर0सी0आर0 वाद सं0 34/2021 में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री के सत्यापित प्रति की छायाप्रति दाखिल किया है जिसमें पत्नी के रूप में इस वाद की आवेदिका सं0 01 अन्नू मिश्रा का नाम है तथा उक्त निर्णय इस बात का उल्लेख है कि विपक्षी ने आवेदिका को अपनी पत्नी तथा आवेदक सं0 02 को अपना पुत्र होना स्वीकार किया है जिसका जन्म दिनांक 15.12.2015 को होना उल्लेखित है जिससे भी इस बात को बल मिलता है कि आवेदिका सं0 01 विपक्षी की पत्नी तथा आवेदक सं0 02 उसका पुत्र है तथा आवेदिका द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है कि इस शादी से उसके पुत्र आवेदक सं0 02 का जन्म दिनांक 15.12.2015 को हुआ था। आवेदिका का कथन है कि उसे विपक्षी और उसके परिवार वालों द्वारा दहेज में पॉच लाख रूपया के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा उसके पति दिनांक 27.03.2019 को लाकर सिवान जंक्शन पर छोड़कर चले गए तब वह अपने पुत्र के साथ अपने मायके गई और तब से मायके में ही है। आवेदिका सं0 01 का कथन है कि विपक्षी कम्पनी में क्लर्क है जिससे उन्हें 50,000/–रूपया वेतन मिलता है तथा मकान के किराये से उसे 30,000/–रूपया प्रतिमाह आमदनी होती है और खेती से भी उसे एक लाख रूपया सालाना आमदनी होती है। आवेदिका के अन्य दोनों साक्षियों ने भी विपक्षी के आमदनी के संबंध में आवेदिका के बातों का समर्थन किया है। उसके साक्षियों ने अपने मुख्यपरीक्षण में भी इस बात का समर्थन किया है कि विपक्षी कम्पनी में क्लर्क है जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं है परन्तु विपक्षी के आय के संबंध में आवेदिका द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका सं0 01 ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी को कम्पनी में क्लर्क होना, अपनी गवाही में स्कूल में क्लर्क होना तथा आय संपत्ति के शपथ पत्र में भी विपक्षी को क्लर्क होना वर्णित किया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी भोपाल में रहकर क्लर्क का काम करता होगा। पत्रावली पर उक्त बातों को अविश्वास करने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है कि विपक्षी क्लर्क का काम करता है क्योंकि विपक्षी इस केस में उपस्थित नहीं हुआ है और न ही आवेदिका के प्रार्थना पत्र का जबाव ही दाखिल किया है। आवेदिका और उसके विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान यह कथन किया गया है कि उक्त निर्णय और डिक्री की जानकारी उसको पहले नहीं हो पाई थी और बाद में इस निर्णय और डिक्री की जानकारी उन्हें हुई है और आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बहस किया है कि विपक्षी ने केवल अपने दायित्वों से बचने के लिए बिना पर्याप्त तामिला के भोपाल परिवार न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली है। उसका उद्वेश्य कभी भी आवेदिका को रखने का नहीं रहा है। इस न्यायालय को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के बातों में बल प्रतीत होता है क्योंकि यदि वास्तव में विपक्षी आवेदिका को अपने साथ रखना चाहता तो वह इस मामले का नोटिस मिलने के बाद, उक्त आर0सी0आर0 की डिक्री के साथ अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करता लेकिन उसने उक्त एकपक्षीय डिक्री को प्राप्त करने के बाद इसके संबंध में एक लिगल नोटिस दिनांकित 31.01.2023 आवेदिका को भेजकर अपने दायित्वों की इतिश्री करनी चाही है। उसने कोई साम्यक प्रयास

आवेदिका को अपने साथ रखने या अपना पक्ष इस न्यायालय के सामने रखने या आवेदिका के किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का, नहीं किया है। वैसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीना कुमारी उर्फ रीना देवी उर्फ रीना बनाम दिनेश कुमार महतो पी0एल0जे0आर0 2025(1) S.C. 414 के पारा 38 में यह अवधारित किया है कि यदि आवेदिका के पास विपक्षी से अलग रहने का पर्याप्त कारण है और उसने साथ रहने से इंकार कर दिया है तो केवल आर0सी0आर0 की डिक्री उस पर धारा 125 (4) दं0प्र0सं0 अयोग्यता उस पर लागू नहीं होगी अर्थात उसे भरण पोषण पाने से अयोग्य नहीं बनायेगी। वर्तमान मामले में आवेदिका और उसके साक्षियों का साक्ष्य निर्विवादित है कि आवेदिका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और अंतत उसे पुत्र सहित सिवान जंक्शन पर लाकर छोड़ दिया गया।

10. उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय का मत यह है कि विपक्षी अपनी पत्नी आवेदिका सं0 01 व पुत्र आवेदक सं0 02 का उपेक्षा कर दिया है तथा उन्हें छोड़ दिया है। विपक्षी, आवेदकगण को भरण पोषण देने के लिए विधिक, सामाजिक तथा नैतिक रूप से उत्तरदायी है। भरण पोषण पति/ पिता के उपर कोई दण्ड/जुर्माना नहीं है, बल्कि भरण पोषण का उद्वेश्य पत्नी व बच्चे को दरिद्रता एवं अवारगी व भूखमरी से बचाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों पर अपनी संपत्ति, आय एवं देनदारियों को, भरण पोषण के मामले में न्यायालय के समक्ष रखने के संबंध में उन्हीं पर दायित्व रखा है अर्थात आवेदक को अपनी आय व संपत्ति बतानी है तथा विपक्षी को अपनी आय व संपत्ति का उल्लेख करना है ताकि न्यायालय भरण पोषण निर्धारित करते समय उन पर विचार कर सके। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित न होकर या अपनी आय व संपत्ति न दर्शाकर या शपथ पत्र दाखिल करने में देरी करके, अपने भरण पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता। इसी कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने रजनेश बनाम नेहा 2021 (2) एस0सी0सी0 324 में दिये गए निर्देशों में परिवार न्यायालय के लिए भरण पोषण की राशि तय करते समय विपक्षी के आय का अनुमान, आवेदक द्वारा दाखिल शपथ पत्र के आधार पर लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। भरण पोषण के मामलों में आवेदिका द्वारा विपक्षी की आय को बढ़ा–चढ़ा कर बताया जाता है तथा विपक्षी द्वारा अपनी आय कम से कम बताई जाती है। भरण पोषण दण्ड स्वरूप नहीं है फिर भी यह इस स्तर का होना चाहिए जो आवेदिका उसी जीवन स्तर को धारण कर सके जो वह अपने पति के साथ रहते हुए धारित करती। जहॉ तक विपक्षी की आय का प्रश्न है, आवेदिका और उसके साक्षियों ने विपक्षी को प्राईवेट कम्पनी में क्लर्क होना कहा गया है और उससे, उसे मो0 50,000/–रूपया प्रतिमाह आमदनी होना बताया गया है तथा आवेदिका ने अपने आय और संपत्ति के शपथ पत्र में भी विपक्षी को क्लर्क होना बताया गया है तथा उसके आय के संबंध में मो0 1,50,000/–रूपया प्रतिमाह वर्णित किया गया है लेकिन इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में यह न्यायालय विपक्षी की आय मो0 20,000/–रूपया प्रतिमाह मानती है।

11. उपरोक्त परिस्थिति में यह न्यायालय, विपक्षी की आय मो0 20,000/– रूपये प्रतिमाह मानते हुए विपक्षी को आदेश देती है कि वह अपनी पत्नी अन्नू मिश्रा आवेदिका सं0 01 को मो0 5,000/–रूपये प्रतिमाह एवं अपने पुत्र ख्यातिक मिश्रा/ आवेदिका सं0 02 को 2,000/–रूपये उसके बालिग होने तक अर्थात कुल मो0 7,000/–रूपये प्रतिमाह (सात हजार रूपये) प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में आवेदन दाखिल करने की तिथि दिनांक 03.02.2021 से नियमित अदा करे।

12. विपक्षी, इस आदेश के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर आवेदिका को उपरोक्त भरण पोषण की राशि अदा करे।

13. यदि अगले 10 दिनों में विपक्षी इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आवेदिका आदेश के प्रवर्तन के लिए उचित आवेदन दाखिल करने को स्वतंत्र होगी।

14. उपरोक्तानुसार यह भरण पोषण आवेदन एकपक्षीय स्वीकार करते हुए निष्तारित किया जाता है।

Dated : 13-05-2026

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि बाद पूर्ति आवश्यक औपचारिकताएँ, पत्रावली दफ्तर दाखिल करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

(मनोज कुमार – द्वितीय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,सीवान।

13.05.2026

(मनोज कुमार – द्वितीय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,सीवान

13.05.2026